भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2153
06 अगस्त, 2021 के लिए प्रश्न

ब्लॉक स्तर पर मत्स्यपालन के लिए कार्य योजना

2153. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मत्स्यपालन के लिए हर एक ब्लॉक स्तर पर कोई योजना बनाई गई है;

(ख) क्या मछली उद्योग के लिए ऐसी कोई योजना है जिसके अंतर्गत मत्स्यपालन के लिए मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यदि हां, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिन्हें विगत पांच वर्षों के दौरान लागू किया गया है, तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का ब्लॉक स्तर पर मत्स्यपालन से संबंधित एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करने का कोई विचार है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(श्री परशोत्तम रुपाला)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक फ्लैगशिप योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) - भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत एवं जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना" को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में लागू कर रहा है जिसका अब तक का सबसे अधिक निवेश 20,050 करोड़ रुपए का है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024- 25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में लागू की जा रही है। पी.एम.एम.एस.वाई. में अन्य बातों के साथसाथ - विकेंद्रित योजनप्रणाली की व्यवस्था की गई है जिसमें पी,एम.एम.एस.वाई. को सुचारू रूप से लागू करने, पर्यवेक्षण तथा निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर जिला मात्स्यिकी योजनाएं तैयार की जाती है। इस प्रकार जिला मात्स्यिकी योजना को तैयार करके राज्य स्तर पर राज्य/संघ राज्य योजना का समेकित करने के उपरांत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा लागू की गई प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकता, क्वालिटी, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना तथा प्रबंधन में क्रिटिकल फासलों को दूर करना, वैल्यू चेन, ट्रेसेबिलिटी को आधुनिक बनाना तथा सुदृढ़ करना, एक मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन ढ़ांचे की स्थापना करना और मछुआरों का कल्याण करना है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज, अवसंरचना, आइस प्लांट, फिश मील प्लांट/मिल के निर्माण, मत्स्य खुदरा बाजार, कियॉस्क मछली मूल्य संवर्धन उद्यम इकाई, ई-मार्केटिंग के निर्माण, वैल्यू चेन के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, ऊष्मारोधी तथा प्रशीतित वाहनों, तिपहिया वाहनों तथा आइस

बॉक्स युक्त दो पहिया वाहनों, सजावटी, मत्स्य कृषि, समुद्री शैवाल की खेती, गहरे समुद्र में मत्स्ययन जलयानों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता, मौजूदा मत्स्ययन जलयानों अपग्रेडेशन तथा आधुनिकीकरण, पारंपरिक मछुआरों द्वारा प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत मत्स्ययनजलयानों के अधिग्रहण के लिए अन्य लाभार्थियों में मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य कामगारों, मत्स्य विक्रेताओं और महिलाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने अपनी योजनाओं अर्थात (i) इंसुलेटेड फिश होल्ड ऑन बोर्ड वेसल की स्थापना के लिए सहायता (ii) स्लरी आइस मेर्किंग मशीन ऑन बोर्ड फिशिंग वेसल की स्थापना के लिए सहायता, (iii) रेडियों टेलीफोन ऑन बोर्ड फिशिंग वेसल की स्थापना के लिए सहायता, (iv) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑन बोर्ड फिशिंग वेसल की स्थापना के लिए सहायता, (v) फिशिंग फाइंडर ऑन बोर्ड फिशिंग वेसल की स्थापना के लिए सहायता और (vi) सैटेलाइट बेस्ड वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

(ग) जी, हां, प्रधान मंत्री मत्स्य सपंदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के अन्तर्गत मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य कामगारों, विक्रेताओं, अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण, जागरुकता, कौशल विकास, कार्य प्रदर्शन, कौशल उन्नयन तथा दक्षता निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

*****